कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

संचिका संख्याः– मो०–40 / 16(सांख्यिकी) 4146 कृ०,पटना दिनांक 03 अक्टूबर सितम्बर, 2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय : **वर्ष 2016–17 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में खरीफ 2016 एवं रबी 2016–17 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश में संशोधन के सम्बन्ध में।**

प्रसंग : कृषि विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 3964 दिनांक 19.09.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में वर्ष 2016–17 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में खरीफ 2016 एवं रबी 2016–17 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान वितरण हेतु पत्रांक 3103 दिनांक 22.07.2016 द्वारा प्रेषित क्रियान्वयन अनुदेश में पूर्व के अतिरिक्त निम्न संशोधन किए गये हैं :–

1. वर्ष 2016–17 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में खरीफ 2016 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान वितरण में अन्य खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय पौधे एवं सुगंधित पौधे लिए जा सकते हैं जो खरीफ मौसम में उत्पादित किए जाते हैं। इन सभी फसलों के लिए पूर्व में स्वीकृति आदेश संख्या 3117, 3118 एवं 3119 दिनांक 18.07.2016 द्वारा स्वीकृत 300 रू० प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से 3 सिंचाई हेतु अधिकतम 900 रू० प्रति एकड़ डीजल अनुदान की राशि देय होगा।
2. रबी 2016–17 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान वितरण में अन्य रबी फसलों के अन्तर्गत रबी मौसम में उत्पादित होने वाले दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय पौधे एवं सुगंधित पौधे आएंगे एवं पूर्व में स्वीकृत 300 रू० प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से 2 सिंचाई हेतु अधिकतम 600 रू० प्रति एकड़ डीजल अनुदान की राशि देय होगा।

अनुरोध है कि अनुदेश के अनुरूप डीजल अनुदान वितरण का कार्य सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु० : कार्यवाही की प्रति।

विश्वासभाजन
30.9.16
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 4146 दिनांक : 03-10-16

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक(परिक्षेत्र) एवं सभी जिला नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.9.16
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 4146 दिनांक : 03-10-16

प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30.9.16
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।